(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खंड- 4 में **प्रकाशित**)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 118 **नई दिल्ली**, 28 अप्रैल, 2010

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतत्द्वारा, न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास द्वारा दीर्घ / अल्प काल आधार पर पट्टे पर दी गई भूमि के पट्टे किरायों की वैधता संलग्न आदेशानुसार विस्तारित करता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/33/2003-एनएमपीटी

आ दे श
(मार्च 2010 के 31 वें दिन पारित)

न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) द्वारा दीर्घ / अल्प काल आधार पर आबंटित भू-खंडों के पट्टा किरायों को इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार 20 जनवरी 2005 को संशोधित किया गया था। इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पट्टा किराये 19 फरवरी 2007 तक वैध थी।

2. दरों की वैधता को समय-समय पर विस्तारित किया गया था और इसे पिछली बार दिनांक 23 अक्तूबर 2009 के आदेश द्वारा 31 मार्च 2010 अथवा इस प्राधिकरण द्वारा पारित किए जाने वाले आदेश के क्रियान्वयन की प्रभावी तिथि, इनमें से जो भी पहले हो, तक विस्तार प्रदान किया गया था।

3. एनएमपीटी ने दिनांक 8 मार्च 2010 के अपने पत्र द्वारा, वर्तमान पट्टा किरायों को नए दरमान के अनुमोदित होने तक जारी रखने की अनुमति मांगी है।

4. इस प्रकरण में संयुक्त सुनवाई 17 दिसंबर 2009 को आयोजित की गई थी। संयुक्त सुनवाई में लिए गए निर्णयों पर एनएमपीटी द्वारा अनुपालना की प्रतीक्षा है। चूंकि पट्टा किरायों की वैधता 31 मार्च 2010 को समाप्त हो रही है, और पत्तन से उत्तर प्राप्त होने के बाद प्रकरण को अंतिम रू प दिए जाने में लगने वाले समय को दखते हुए यह प्राधिकरण वर्तमान पट्टा किरायों की वैधता 30 सितंबर 2010 अथवा संशोधित पट्टा किरायों के क्रियान्वयन की प्रभावी तिथि तक, इनमें से जो भी पहले हो, विस्तार प्रदान करता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष